



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	मुकदमा सं. मनोहरलाल / अशोक पगों हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज Gcms-2025/94	नंबर व तारीख जो इस हुक्म तामील में जारी
----------------	--	---

हेतु शां पत्र पेश किया। पक्षकारान को
शीघ्र सुनवाई हेतु नोटिस जारी होकर
मिसल दिनांक 18/7/2025 को पेश हो।


18/7/25
वकील वादी उपर। पक्षकारान के नोटिस अन्तर्गत
तप से होना चाहे गये। अतः पुनः शीघ्र
सुनवाई हेतु नोटिस जारी होकर मिसल दिनांक
25/7/2025 को पेश हो।

P/D से वर्ण
वक्त्रसे सहमत
हैं



25/7/2025

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। तहसीलदार
नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में विस्तृत
विभाजन प्रस्ताव पूर्व में प्राप्त हुआ जो अभिलेख पर
लिया जाता हैं। प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव पर बहस
वकुलाय उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकुलाय
उभयपक्ष ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक
डिक्री की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से सहमति
जताते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री
फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व
रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक
डिक्री की पालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव का
अवलोकन किया गया। चूंकि वकुलाय उभयपक्ष
तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से
सहमत हैं। अतः वाद वादी न्यायहित में स्वीकार किया
जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम
डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव
अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत
विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो




हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो
इस हुकम की तामील
में जारी हुए

तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल
शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील
दाखिल दफतर हो। यह निर्णय आज दिनांक 25.07.
2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले
न्यायालय में सुनाया गया।




(राजवीर सिंह यादव)
राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना (सीकर)